

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक

बी / 4118

तीन-18-180/75 (गाइड लाईन)

जबलपुर, दिनांक 06/09/2024

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(म.प्र. राज्य के समस्त)
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
(म.प्र. राज्य के समस्त)

विषय :— जिला स्थापना स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा—निर्देश द्वारा जारी प्रारूप 'अ' एवं 'ब' के स्थान पर संशोधित प्रारूप 'अ' एवं 'ब' प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी।

संदर्भ :— रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/1561 सह परिपत्र क्रमांक सी/1560/
तीन-18-180/75 (गाइडलाईन) दिनांक 11/04/2022।

महोदय,

यथानिर्देश, उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों से संबंधित 'स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा—निर्देश' दिनांक 11/04/2022 के एकल एवं पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी आवेदन प्रारूप 'अ', एवं 'ब' के स्थान पर संशोधित प्रारूप 'अ' (भाग—एक एवं दो) एवं प्रारूप 'ब' (भाग—एक एवं दो), आपकी ओर एतद् संलग्न सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आपके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के मध्य परिचालनार्थ प्रेषित है।

साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के पश्चात् तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों के आगामी स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र संशोधित प्रारूप 'अ' (भाग—एक एवं दो) एवं प्रारूप 'ब' (भाग—एक एवं दो) में ही प्रेषित किये जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


06/09/2024

(ऋतुराज सिंह चौहान)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

संशोधित प्रारूप – 'अ'

स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (Mutual), अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु संयुक्त आवेदन पत्र

भाग – 'एक'

क्र.	विवरण	प्रथम आवेदक	द्वितीय आवेदक
1.	कर्मचारी का नाम		
2.	पिता / पति का नाम		
3.	वर्तमान पदरथापना का नाम		
4.	इम्लाई कोड		
5.	जन्मतिथि		
6.	नियुक्ति दिनांक		
7.	वर्तमान में धारित पद एवं दिनांक		
8.	वेतनमान		
9.	शैक्षणिक योग्यता		
10.	तकनीकी योग्यता		
11.	पत्राचार का पता		
12.	पूर्व में आवेदन प्ररतुत किया हो, तो उसका विवरण ?		
13.	प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में रथानांतरण हुआ हो तो उसका विवरण ?		
		प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर	द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

हम दोनों आवेदकगण ने उपरोक्तानुसार वांछित पारस्परिक अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु संयुक्त आवेदन पत्र आपसी स्वैच्छिक सहमति से दिया है। उपरोक्तानुसार स्थानांतरण की दशा में, हम नवीन जिला स्थापना पर अपने प्रवर्ग की वरीयता सूची में अपने नामों को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति, एतदद्वारा प्रदान करते हैं।

(प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर)

(द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट:- जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है, उनको वरीयता सूची में अपने नाम को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति देने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधित प्रारूप – ‘अ’

स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (Mutual), अंतर–जिला स्थानांतरण हेतु संयुक्त आवेदन पत्र

भाग – ‘दो’

आवेदक के जिला न्यायालय कार्यालय द्वारा निम्न जानकारी दी जावे

क्र.	बिन्दुवार वांछित जानकारी	विवरण
1.	प्रथम एवं द्वितीय आवेदकों के नाम एवं पदनाम	1. 2.
2.	पारस्परिक स्थानांतरण हेतु संबंधित जिला न्यायाधीश की सहमति/असहमति	
3.	सहमति/असहमति की दशा में स्पष्ट कारण	
4.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रथम नियुक्ति एवं वर्तमान पदस्थापना पर पदस्थी दिनांक	
5.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर गृह जिले का नाम	
6.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर पूर्व पदस्थापनाओं की जानकारी, यदि हो तो (कब से कब तक पदस्थ दिनांक सहित)	
7.	आवेदक का प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में स्थानांतरण हुआ हो, तो उसका पूर्ण विवरण	
8.	आवेदक के विरुद्ध लंबित शिकायत, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शास्ति से संबंधित सभी जानकारी, यदि कोई हो तो	
9.	कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम, रिश्तों सहित	
10.	क्या कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 माह के पूर्व प्रेषित किया जा रहा है ? यदि हॉ तो तत्संबंधी रजिस्ट्री आदेश एवं स्थानांतरण नीति/दिशा निर्देश दिनांक 11.04.2022 की कंडिका 9 अनुसार स्पष्ट अनुशंसा	

11. पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का विवरणः—

वर्ष	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
वर्ष					
प्रदत्त ग्रेड					

12. यदि आवश्यक हो तो, कर्मचारी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन (कार्य, आचरण एवं व्यवहार के संबंध में) :-

.....
.....
.....

रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/1560/तीन-18-180/75 (गाईडलाइन) दिनांक 11/04/2022 के अनुसार, अंतर-जिला स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र के वास्तविक आधार एवं उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला.....

संशोधित प्रारूप – 'ब'

स्वयं के व्यय पर सिक्त पद पर एकल (Single), अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र

भाग – 'एक'

1.	कर्मचारी का नाम		
2.	पिता / पति का नाम		
3.	वर्तमान पदस्थापना का नाम		
4.	इम्प्लाई कोड		
5.	जन्मतिथि		
6.	नियुक्ति दिनांक		
7.	वर्तमान में धारित पद एवं दिनांक		
8.	वेतनमान		
9.	शैक्षणिक योग्यता		
10.	तकनीकी योग्यता		
11.	पत्राचार का पता		
12.	पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया हो, तो उसका विवरण ?		
13.	पूर्व में प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत स्थानांतरण हुआ हो तो उसका विवरण ?		
14.	अंतर जिला स्थानांतरण हेतु वरीयता क्रम में जिलों के नाम 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....		
		आवेदक के हस्ताक्षर	

घोषणा पत्र

उपरोक्तानुसार वांछित अंतर-जिला स्थानांतरण होने की दशा में, मैं अपनी नवीन पदस्थापना की स्थापना पर, अपने प्रवर्ग की वरीयता सूची में अंतिम प्रक्रम पर अपने नाम को रखे जाने की स्वैच्छिक लिखित सहमति, एतद्वारा देता हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट:- जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है, उनको वरीयता सूची में अपने नाम को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति देने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधित प्रारूप – 'ब'

स्वयं के व्यय पर सिक्त पद पर एकल (Single), अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र

भाग – 'दो'

आवेदक के जिला न्यायालय कार्यालय द्वारा निम्न जानकारी दी जावे

क्र.	बिन्दुवार वांछित जानकारी	विवरण
1.	आवेदक का नाम एवं पदनाम	
2.	जिला न्यायाधीश की सहमति/असहमति	
3.	सहमति/असहमति की दशा में स्पष्ट कारण	
4.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रथम नियुक्ति एवं वर्तमान पदस्थापना पर पदस्थी दिनांक	
5.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर गृह जिले का नाम	
6.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर पूर्व पदस्थापनाओं की जानकारी, यदि हो तो (कब से कब तक पदस्थ दिनांक सहित)	
7.	आवेदक का प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में स्थानांतरण हुआ हो, तो उसका पूर्ण विवरण	
8.	आवेदक के विरुद्ध लंबित शिकायत, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शास्ति से संबंधित सभी जानकारी, यदि कोई हो तो	
9.	कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम, रिश्तों सहित	
10.	व्या कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 माह के पूर्व प्रेषित किया जा रहा है ? यदि हो तो तत्संबंधी रजिस्ट्री आदेश एवं स्थानांतरण नीति/दिशा निर्देश दिनांक 11.04.2022 की कंडिका 9 अनुसार स्पष्ट अनुशंसा	

11. पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का विवरण:-

वर्ष	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
प्रदत्त ग्रेड					

12. यदि आवश्यक हो तो, कर्मचारी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन (कार्य, आचरण एवं व्यवहार के संबंध में) :-

.....

.....

.....

.....

रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/1560/तीन-18-180/75 (गाईडलाइन) दिनांक 11/04/2022 के अनुसार, अंतर-जिला स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र के वास्तविक आधार एवं उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला.....